गुम बालक के पता तलाश हेतु विशेष कार्यवाही प्रक्रिया

(STANDARD OPERATING PROCEDURE FOR CASES OF MISSING CHILDREN)

अपराध अनुसंधान विभाग
पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़
Crime Investigation Department,
Police Headquater, Chhattisgarh

संदेश

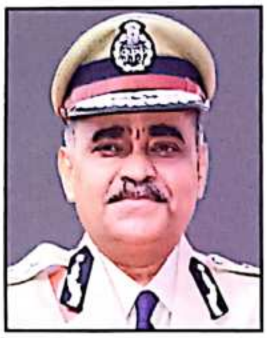

बच्चे राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति हैं । हमारा प्रयास एक ऐसे स्वच्छ समाज के निमार्ण का है, जहॉ बच्चे न केवल अपने परिवार, अपितु समुदाय एवं समाज में भी सुरक्षित रहते हुए अपने भविष्य का निर्माण कर सके । प्रतिदिन बच्चे गुम होने की रिपोर्ट थानों में प्राप्त होती है । बच्चे के गुम होने की घटना निश्चित ही हम सबके लिए बेहद चिंतनीय है । राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट के अनुसार देश में हजारों बच्चों को अपराधियों द्वारा सरलतापूर्वक बहला–फुसलाकर ले जाने एवं उनको शोषण करने की शिकायतें प्रकाश में आई हैं । ऐसी स्थिति में पुलिस एवं संबंधित हितधारकों/सहयोगी संस्थाओं की भूमिका [illegible] महत्त्वपूर्ण हो जाती है । माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार भारत वर्ष में गुम बच्चों की [illegible] कार्यवाही में एकरूपता लाने एवं राज्यों में पारस्परिक सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से [illegible] महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विशेष कार्यवाही प्रक्रिया तैयार की गई है। इस विशेष [illegible] को सरल एवं संक्षिप्त रुप से हिंदी में अनुवाद किया गया है, जो पुलिस अधिकारियो की [illegible] रियों को और अधिक स्पष्ट करेगा । यह आशा करता हूं कि बच्चों के खोजबीन में यह [illegible] मील का पत्थर साबित होगा ।

(ए.एन. उपाध्याय)
पुलिस महानिदेशक

संदेश

किसी भी समाज के लिए बच्चे मानवता का सर्वोत्तम उपहार माना गया है । बच्चे अनभिज्ञ, आश्रित एवं संवेदनशील होते हैं । इसीलिए समाज में एक विशेष श्रेणी के माने जाते हैं । बच्चों के सर्वांगिण विकास के लिए उन्हे विशेष देखभाल, सुरक्षा एवं उत्तम वातावरण की आवश्यकता होती हैं । कई बार गरीबी, लाचारी एवं समुचित लालन-पालन नहीं होने का फायदा उठाकर अपराधियों द्वारा उन्हे बाल मजदूरी, भिक्षावृत्ति एवं यौन शोषण जैसे दलदल में डाल दिया जाता है । आज दुनियाभर में कई ऐसे बच्चे है जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है और इन बच्चों का समय स्कूल में कॉपी-किताबों और दोस्तो के बीच नहीं, बल्कि होटलों, उद्योगों, घरों में घरेलु कामकाज और कारखानों में औजारों के बीच बीतता है ।

माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित याचिका 75/2012 ''बचपन बचाओ आंदोलन विरूद्व संघ शासन '' में माननीय न्यायालय द्वारा गुम बच्चों के प्रकरणों में अपहरण अथवा मानव तस्करी की उपधारणा पर अनिवार्य रूप से प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने के निर्देश दिए गए है । किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 में बच्चों को सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है । पुलिस अपचारी बालकों के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव नहीं करे । पुलिस को किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्य कर बालक मित्रवत् व्यवहार एवं प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक किया गया हैं । इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य विधि विरूद्व बालकों का पुनर्वास एवं उन्हे समाज की मुख्य धारा में पुन: जोड़ना हैं, ताकि भविष्य में वे पेशेवर अपराधी न बन सके । आधुनिक परिवेश, बदलती संस्कृति एवं बिखरते पारिवारिक व्यवस्था के कारण समाज में बाल यौन शोषण की घटनाऐं प्रकाश में आ रही हैं । इस पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पॉक्सो एक्ट) के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने के अधिकार पुलिस को दिये गये हैं ।

भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा गुम बच्चो के संबंध में विशेष कार्यवाही प्रक्रिया तैयार की गई है । इस विशेष कार्यवाही प्रक्रिया को सरल हिन्दी शब्दों में अनुवाद कर आप तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि आप अपनी भूमिका को अच्छी तरह से समझते हुए तदनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें । मुझे उम्मीद है कि गुम बच्चों की शत्-प्रतिशत बरामदगी में यह विशेष कार्यवाही प्रक्रिया आपके लिए मददगार होगा ।

(आर.के. विज)
अति. पुलिस महानिदेशक

गुम बालक के पता तलाश हेतु
विशेष कार्यवाही प्रक्रिया (SOP)
(STANDARD OPERATING PROCEDURE FOR CASES OF MISSING CHILDREN)

(केन्द्रीय मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत शासन द्वारा तैयार)

पृष्ठभूमि (BACKGROUND)

माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन, सिविल 75/2012 बचपन बचाओ आंदोलन विरूद्ध संघ शासन के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2013 मे गुम बच्चों के संबंध में विशेष कार्यवाही प्रक्रिया निर्माण करने का आदेश दिया गया था। किशोर न्याय, (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 (14)(VII) में गुम बच्चों को देखभाल एवं संरक्षण का जरूरतमंद बालक के रूप में शामिल किया गया है और इस अधिनियम के नियम 92 में गुमशुदा बालक के बारे में जांच के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित किया गया है।

उद्देश्य (OBJECTIVE)

इस विशेष कार्यवाही प्रक्रिया में गुम, पाये एवं बरामद बच्चों के प्रकरणों में पुलिस, बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड, जो इन प्रकरणों को व्यवहृत करते हैं, उन्हें सहयोग की परिकल्पना की गई है। एसओपी का उद्देश्य, जब गुम बच्चों के प्रकरणों को प्रस्तुत किया जाता है उस समय हितधारकों / सहयोगी संस्थाओं (Stakeholders) के बीच समन्वय का कार्य करने एवं गुम बच्चों के मुद्दों पर त्वरित प्रतिक्रिया करना है। शीघ्र एवं प्रभावी विधि प्रवर्तन एवं अभियोजन की कार्यवाही सुनिश्चित करना है। गुम बच्चों को फिर पीड़ित होने से बचाने के लिए तंत्र एवं प्रणाली का निर्माण, पीड़ितों/गवाहों को समय पर उचित ध्यान/संरक्षण/देखभाल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है।

गुम बच्चों के आयामों को समझना
(DIMENSIONS TO UNDERSTANDING THE CONCEPT OF "MISSING CHILD)

गुम बच्चे (MISSING CHILD)

आमतौर पर कहा जाता है कि प्रायः गुम बच्चे वे हैं, जो माता-पिता, परिवार या अभिभावक से बिछड़ गये हैं अथवा अपनी मर्जी से घर छोड़ दिया है अथवा जिसका अपहरण किया गया है, मानव दुर्व्यापार किया गया है अथवा उसके परिजन द्वारा परित्याग कर दिया गया है। हालांकि यह एसओपी उन प्रक्रिया को भी शामिल करता है, जो उन बच्चों के संबंध में है, जिन्हें पुलिस, बाल कल्याण समिति, चाईल्डलाईन या किसी अन्य संगठन अथवा व्यक्ति द्वारा पाया/ढूंढा गया है और जब तक कि उसके माता-पिता, परिवार, अभिभावक का पता नहीं चल जाता तथा उस बच्चे को उनके सुपुर्द कर दिया जाये। कुछ इस तरह के बच्चे बालक देखरेख संस्थाओं में रहने वाले हो सकते हैं। प्रायः माता-पिता/परिवार/अभिभावक द्वारा इस तरह के मामलों में गुमने की शिकायत दर्ज कराई जाती हैं।

दस्तयाब बच्चे (TRACED CHILD)

एक खोजा हुआ बच्चा वह होगा, जिसका पुलिस द्वारा गुम बच्चों की शिकायत अथवा प्रथम सूचना पत्र के आधार पर पता लगाया गया हो।

बरामद बालक (FOUND CHILD)

एक बरामद हुआ बच्चा, वह बच्चा है, जो पुलिस को गली, बाजार स्थल, रेल्वे प्लेटफार्म, बस स्टैण्ड, रेल में, बंदरगाह में, हवाई अड्डा, बस पर अथवा अन्य सार्वजनिक परिवहन, अस्पताल में, बचाव अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थान से मिला हो या किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, चाईल्डलाईन, किसी अन्य स्वंयसेवी संस्था के द्वारा पुलिस के समक्ष लाया जाता हो। आमतौर पर कहा जाता है कि गुम बच्चे वह हैं, जो अपने परिवार/अभिभावक से बिछड़ गये हों एवं इसमें निम्नानुसार शामिल हो सकते हैं:-

- खोजे गये बच्चे (Traced Children)
- बरामद बच्चे (Found Children)
- भागे हुए बच्चे (Run away Children)
- परित्यक्त बच्चे (Abondoned Children)
- अपहृत बच्चे (Kidnapped Children)
- खोये हुए बच्चे (Lost Children)
- तस्करीकृत बच्चे (Trafficked Children)
- दुर्घटना, आपदा, विपत्ति या अन्य विविध कारणों से गुम/खोये/पाये बच्चे
- बालक देखरेख संस्था से गुम बच्चे

1. परिभाषा (DEFINITION)

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम के नियम 92 (I) आदर्श नियम- 2016 में परिभाषित अनु... गुमशुदा बच्चे ऐसे बच्चे हैं जिसके ठिकाने की, उसके माता-पिता, कानूनी अभिभावक, या किसी व्यक्ति अथवा संस्... जिसे बच्चों की अभिरक्षा विधिक रूप से सौंपी गई है, गायब होने की परिस्थिति या कारण कुछ भी हो, की जानकारी न... और उसे जब तक ढूंढ नहीं लिया जाता है या उसकी सुरक्षा और कल्याण को स्थापित नहीं किया जाता है गुमशुदा... देखरेख एवं संरक्षण का जरूरतमंद बच्चे माना जावेगा।

2. शिकायत कौन दर्ज करा सकता है? (WHO MAY FILE THE COMPLAINT)

1. माता-पिता
2. कानूनी अभिभावक
3. रिश्तेदार
4. बाल कल्याण समिति
5. चाईल्डलाईन 1098

6. एनजीओ

7. पुलिस

8. लोकसेवक

9. कोई भी व्यक्ति जो बच्चे की सुरक्षा एवं कल्याण से संबंधित हो

10. कोई भी व्यक्ति, जो घटना के संबंध मे जानकारी रखता हो।

3. कहाँ एवं कैसे गुम बच्चों की रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है? (WHERE & HOW TO REPORT A MISSING CHILD)

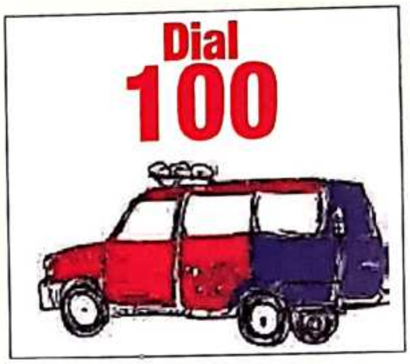

1. कहाँ (Where ?)

i. पुलिस थाना/एएचटीयू/एसजेपीयू

ii. पुलिस नियंत्रण कक्ष (PCR) नंबर डायल 100

iii. पुलिस की किसी भी अन्य आपातकालीन हेल्पलाईन नंबर पर

iv. चाईल्डलाईन 1098

v. पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात किसी व्यक्ति द्वारा www.trackthemising child.gov.in में लॉगइन करने के पश्चात गुम बच्चों की जानकारी पोर्टल में दर्ज किया जा सकता है एवं सभी हितधारकों/सहयोगी संस्थाओं से बच्चों की पता तलाश में सहयोग हेतु उसका फोटो सिटीजन्स कार्नर में अपलोड किया जा सकता है।

2. कैसे? (HOW)

नियमित साधनों के अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से, फोन पर, ईमेल पर, अन्य संचार माध्यमों, गुम बच्चों की शिकायत एसएमएस के द्वारा भी दर्ज कराई जा सकती है। पुलिस को इस तरह की जानकारी का रिकार्ड जनरल डायरी में रखना चाहिए और फोन करने वाले व्यक्ति का प्रारंभिक सत्यापन कार्यवाही करने के उपरान्त प्रथम सूचना पत्र दर्ज करना चाहिए।

4. सहयोगी विभाग/संस्थाओं (Stakeholders) की भूमिका एवं जिम्मेदारियाँ (ROLES AND RESPONSIBILITIES OF STAKE HOLDERS)

जब बच्चे गुम जाते हैं :-

पुलिस (Police)

a. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बचपन बचाओ आंदोलन विरूद्ध संघ शासन (रिट पिटिशन सिविल 75/2012) में दिनांक 10 मई 2013 को दिये गये निर्देशानुसार गुम बच्चे के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर तुरंत मानव दुर्व्यापार अथवा अपहरण के प्रकरण की एफआईआर दर्ज करना चाहिए।

b. बाल कल्याण पुलिस अधकारी को सूचना देकर प्रथम सूचना पत्र विशेष किशोर पुलिस इकाई को बच्चे की पता तलाश संबंधी तत्काल कार्यवाही करने के लिए अग्रेषित करना चाहिए। परिशिष्ट I अनुसार

c. पुलिस यह भी करेगी

1. बालक का वर्तमान का फोटो प्राप्त कर डिस्ट्रिक्ट मिसिंग परसन्स स्क्वाड (गुम इंसान दस्ता), राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो एवं मीडिया आदि के लिए फोटो की प्रति तैयार करना।

2. निर्धारित पोर्टल www.trackthemissingchild.gov.in के M फार्म को भरा जावेगा। कृपया परिशिष्ट II देखें
3. विशिष्ट निर्धारित गुमइंसान जानकारी फार्म को भरकर तत्काल गुमइंसान दस्ता, डीसीआरबी, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, पुलिस नियंत्रण कक्ष, रेल्वे पुलिस एवं अन्य संबंधित संस्थाओं को भेजना।
4. बच्चे से संबंधित जानकारी निर्धारित पोर्टल में अपलोड करने के पश्चात प्रथम सूचना पत्र की प्रतिलिपि नजदीकी विधिक सेवा प्राधिकरण को बच्चे के माता पिता, वैध अभिभावक अथवा बालक देखरेख संस्था का पता, फोन नंबर सहित पोस्ट या मेल से भेजना चाहिए।
5. पर्याप्त संख्या में गुम बच्चों की पतासाजी हेतु फोटोग्राफ एवं विवरण युक्त नोटिस तैयार कर प्रकाशन के लिए भेजा जावे।
6. गुम बच्चों का फोटोग्राफ्स एवं विवरण का प्रकाशन अथवा प्रसारण के माध्यम से प्रचार किया जा सकता है, जो निम्न रूप में संभव है:-
   a. प्रमुख समाचार पत्र
   b. टेलीविजन/इलेक्ट्रानिक मीडिया
   c. स्थानीय केबल टेलीविजन नेटवर्क
   d. सोशल मीडिया एवं इसके पश्चात अनुसमर्थन के लिए बोर्ड, समिति, अथवा बाल न्यायालय के द्वारा मामला जैसा भी हो सकता है, जमा कराया जावेगा।
7. व्यापक प्रचार के लिए आसपास के क्षेत्रों में लाउडस्पीकर का उपयोग कर प्रमुख स्थानों में गुम बच्चों की सूचना का प्रसारण एवं पम्पलेट चस्पा करना चाहिए। गुम बच्चों की सूचना को लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल

नेटवर्किंग पोर्टल, एसएमएस अलर्ट एवं सिनेमा घरों में स्लाईडर का उपयोग किया जा सकता है।

8. गुम बच्चों की सूचना शहर अथवा नगर के रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, हवाई अड्डा, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, एवं अन्य प्रमुख स्थानों पर पम्पलेट चस्पा किया जाना चाहिए।
9. इस तरह के क्षेत्र एवं स्थान में बच्चे को खोजना जैसे मूवी थियेटर, शॉपिंग मॉल, बगीचा, गेम पार्लर, एवं वह क्षेत्र जहाँ गुम एवं भागे हुए बच्चों को पहचाना एवं देखा गया हो।
10. आसपास के क्षेत्र में स्थापित सीसीटीव्ही कैमरे का स्केन कराना चाहिए, जहाँ से बच्चों की गुमने रिपोर्ट हुई हो एवं सभी संभावित मार्गो, पारगमन एवं गंतव्य जगहों पर।
11. निर्माणाधीन साईट, अप्रयुक्त भवन, अस्पताल एवं क्लिनिक, चाईल्डलाईन सेवाएँ, बाहर से आये स्थानीय मजदूर, रेल्वे पुलिस एवं अन्य स्थानों पर पूछताछ करना चाहिए।
12. गुम बच्चों का विवरण पड़ोसी राज्यों के जिला अपराध अभिलेख ब्यूरो एवं सीमा क्षेत्र के पुलिस थानो के थाना प्रभारियों तथा उनके क्षेत्राधिकार के पुलिस चौकी को भी भेजा जाना चाहिए एवं कार्यवाही सुनिश्चित करने की दिशा में संबंधितों से नियमित बातचीत करना चाहिए।

d. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में नामित वकीलों एवं थानों में अथवा जिला प्राधिकरण में नियुक्त पैरालीगल वालंटियर्स की सेवाएँ प्राप्त की जा सकती हैं।

e. वेबपोर्टल www.trackthemissingchild.gov.in. में जानकारी अपलोड करें। जानकारी पहले से अपलोड हो जाने की स्थिति में प्राप्त शिकायत को वेब पोर्टल में अपलोड की गई प्रकरण के विवरण के साथ मिलान करें।

f. बच्चों अथवा उसके परिवार की खतरे के स्तर का आंकलन करें एवं उन्हें सुरक्षा प्रदान करने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किया जावे।

g. अप्रवासी प्राधिकरण, सीमा सुरक्षा बल, रेल्वे एवं अन्य परिवहन प्राधिकरण, प्रांतीय/क्षेत्रीय तथा नगरनिगम एवं गुम बच्चों की पहचान तथा बरामदगी/बचाव कार्य की सेवा देने वाली एनजीओ को भी तत्काल सूचित किया जावे।

जोखिम का ऑकलन (RISKASSESSMENT)

परिशिष्ट III में उपलब्ध चेकलिस्ट के अनुसार गुम बच्चों के संबंध में विभिन्न मापदण्डों पर विचार करते हुए, जोखिम (Risk) का आकलन किया जाना चाहिए इसके लिए Risk Assessment Form थाना प्रभारी द्वारा निम्न तथ्यों को निर्धारित करने के लिए किया जावेगा:-

i. अन्वेषण की तत्कालिकता
ii. जांच का क्षेत्र
iii. विशेषज्ञ ज्ञान के प्रकार की जरूरत
iv. पर्यवेक्षण की आवश्यकता
v. एजेंसियाँ, जिन्हें तुरंत सचेत किया जा सके

संगठित अपराध के परिप्रेक्ष्य में (ORGANIZED CRIME PERSPECTIVE)

1. जहाँ बच्चों का 04 माह पश्चात् भी पता नहीं चल पाता है, तो प्रकरण की विवेचना जिलों में गठित एन्टी ह्यूमेन ट्रेफिकिंग यूनिट को स्थानान्तरित किया जावे, जो प्रत्येक तीन में माह में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को विवेचना की प्रगति से अवगत करायेंगे।
2. यदि मानव तस्करी (दुर्व्यापार) या कोई अन्य संगठित अपराध के होने का संदेह हो, तो एक विशेष विवेचना टीम थाना प्रभारी के नेतृत्व में गठित करना चाहिए।
3. जांच का अनुपालन संलग्न चेक लिस्ट परिशिष्ट-IV के अनुसार सुनिश्चित किया जावे।

जब बच्चे प्राप्त या बरामद होते हैं, तब उठाये जाने वाले कदम

(STEPS TO BE TAKEN WHEN A CHILD IS FOUND OR RECOVERED)

पुलिस (POLICE)

1. मामला जैसे भी हो, बच्चों के बरामद होने के पश्चात सर्वप्रथम उसे बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड,बाल न्यायालय में उचित दिशा-निर्देश के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। देखें परिशिष्ट - V

2. बच्चों का चिकित्सकीय परीक्षण विशेषज्ञ टीम से कराना चाहिए, जिसमें मनोसामाजिक विशेषज्ञ।
3. बच्चों को बाल कल्याण समिति द्वारा माता पिता/वैध अभिभावक को सुपुर्द करने के पूर्व उसके घर का उचित सत्यापन करना चाहिए।
4. बच्चों के बरामदगी के संबंध में ट्रेकचाईल्ड वेब पोर्टल के "R" फार्म को आवश्यक रूप से भरकर डाटा www.trackthemissingchild.gov.in पर अपलोड किया जावे।
5. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को बच्चों की बरामदगी की रिपोर्ट भेजी जावे, जो काउंसलिंग एवं विधिक सेवा बालक व उसके परिवार को उपलब्ध करायेंगे।
6. जब बच्चे किसी अपराध में संलिप्त पाये जाते हैं, तब अधिनियम अथवा किसी अन्य कानून के अनुसार कार्यवाही/पूछताछ प्रारंभ की जावे। यह जॉच किया जाये कि बच्चों के विरूद्ध कोई अपराध किसी अधिनियम या कानून के तहत घटित तो नहीं किया गया है। यदि हॉ तो तद्नुसार कार्यवाही करें।

2. पर्यवेक्षण अधिकारी (विवेचना की निरीक्षण में पर्यवेक्षण अधिकारी की भूमि का)

(SUPERVISING OFFICER (ROLE OF SUPERVISING OFFICER OVERSEEING THE INVESTIGATION)

1. पर्यवेक्षण अधिकारी को यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि जारी किये गये एसओपी के निर्देशों का कड़ाई से पालन हो, उन्हें स्वयं भी चेकलिस्ट का पालन करना चाहिए परिशिष्ट- IV के अनुसार

2. पर्यवेक्षण अधिकारी को गुम बच्चों के प्रत्येक प्रकरण की विवेचना को सूक्ष्मता से देखकर अनुसंधान आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रकरणों की विवेचना की स्थिति एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर समीक्षा किया जाना चाहिए।

3. एक बार बच्चे प्राप्त होने पर पर्यवेक्षण अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस द्वारा आगे भी उचित कार्यवाही किया जाये। (Proper follow up actions)

4. पुरस्कृत/दण्ड प्रणाली पर्यवेक्षण अधिकारी को सुनिश्चित करना चाहिए। अर्थात अच्छे कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों को पुरस्कृत किया जावे वहीं त्रुटि करने वालों को दंडित भी किया जाना चाहिए।

5. पर्यवेक्षण अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि थानों में उपलब्ध कराये गये पैरालीगल वालेंटियर्स एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ पूर्ण समन्वय हो, ताकि सभी मुद्‌दों तथा समस्याओं को हल किया जा सके।

3. बाल कल्याण समिति (CHILD WELFARE COMMITTEE)

a. जब गुम बच्चे पाये या बरामद या विधि के विरूद्ध संघर्ष करते हुये बच्चे, किशोर न्याय बोर्ड या पुलिस के समक्ष आते हैं, मामला जैसा भी हो, उचित मार्गदर्शन के लिए सर्वप्रथम समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

b. गुम/तस्करीकृत बच्चों के प्रकरण में प्रथम सूचना पत्र पंजीबद्ध नहीं होने की स्थिति में शिकायत/प्रकरण तत्काल किशोर न्याय बोर्ड को अग्रेषित किया जावेगा, ताकि इस तरह के बच्चों के संबंध में प्रथम सूचना पत्र पंजीबद्ध करने के लिए पुलिस को निर्देश देगा।

c. समिति के किसी भी तीन सदस्यों द्वारा पुलिस अथवा एएचटीयू में तुरंत रिपोर्ट करने हेतु बच्चों के किसी भी प्रकरण का स्वतः संज्ञान लिया जा सकता है और बच्चों को देखरेख एवं संरक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है।

d. बच्चे की आवश्यकता का आकलन कर आदेश पारित किया जाना चाहिए ताकि बच्चे को उपयुक्त सुविधाजनक रखने या उपयुक्त व्यक्ति या गोद लेने के लिए स्वतंत्र घोषणा, या पालक देखभाल या किसी भी अन्य प्रबंध कानूनी प्रक्रिया के तहत बच्चे की रूचि के आधार पर दिमाग में रखना चाहिए।

e. वह स्रोत जहॉ से बच्चों को ढूंढा या खोजा जाता है, जिला बाल संरक्षण अधिकारी/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को बच्चों के पुनर्वास को अधिक सरल एवं प्रभावी बनाने एवं अन्य किसी विधिक सहायता के लिए संलग्न किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जावे कि बच्चे का प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़ा हुआ हो।

f. यह पता लगाया जावे कि यदि बच्चों को चिकित्सा देखरेख की आवश्यकता है, तो निर्देश जारी कर बच्चों को उचित चिकित्सा हेतु चिकित्सीय संस्थान से जोड़ें।

g. उम्र के निर्धारण हेतु पर्याप्त प्रमाण न हो तो बच्चे की उम्र परीक्षण के लिए आदेश पारित किया जावे। उम्र

परीक्षण रिपोर्ट तत्काल प्राप्त किया जावे ताकि परीक्षण परिणाम के आधार पर उम्र संबंधी निष्कर्ष प्राप्त किया जा सके। तब तक बच्चे को उपयुक्त सुविधाजनक रूप से रखा जा सकता है।

h. खोजा या बरामद बच्चा, जो बलात् अथवा बंधक श्रम के रूप में तस्करीकृत था, उसकी पूर्व मजदूरी की वसूली के लिए आदेश पारित करना चाहिए।

i. प्रोबेशन आफिसर/पुलिस/बाल कल्याण अधिकारी/चाईल्डलाईन/जिला बाल संरक्षण अधिकारी/अन्य संगठन को आवश्यक कार्यवाही एवं पालन करने निर्देशित किया जावे।

j. किशोर न्याय अधिनियम (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) की धारा 30 तथा आदर्श नियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट कर्तव्यों को निष्पादन किया जावे एवं जिला/राज्य स्तर पर अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट प्राधिकृत एजेंसी को नियमित भेजी जावे।

4. किशोर न्याय बोर्ड (JUVENILE JUSTICE BOARD- JJB)

a. यदि किसी पाया/खोजा हुआ बच्चों को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष विधिविरूद्ध संघर्ष करते बच्चों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो, जांच के बाद तत्काल संबंधित बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत करने हेतु पुनःनिर्देशित करना चाहिए, ताकि बच्चे की पुनर्वास प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके।

b. यदि गुम/तस्करीकृत बच्चे के प्रकरण में प्रथम सूचना पत्र पंजीबद्ध नहीं किया गया है, तो तत्काल पुलिस को बच्चे की देखरेख एवं सुरक्षा हेतु उसके विरूद्ध कारित अपराध पर एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए।

c. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करना चाहिए।

d. किशोर न्याय (देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा आदर्श नियम के अनुसार प्रत्येक बच्चों के लिए एक विशिष्ट देखरेख योजना तैयार किया जावे। परिवीक्षा अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई या गैर शासकीय संस्था के सदस्य को इसका अनुसरण करना चाहिए। किशोर न्याय ;देखरेख एवं संरक्षणद्ध अधिनियम, 2015 की धारा 8 (3) (h) अथवा धारा 19 (02) में प्रावधानित आवश्यकता अनुसार नियुक्त किया जा सकता है।

☆ ☆ ☆

Child Empowerment Through Knowledge and
Awareness(CHETNA) Training of Trainers, Raipur

School Outreach Program By Police, Koriya Disrict

Range Level Police Training on Key Legislations of Child Protection, Bastar Range

Child Friendly Police Stations

District Mahasamund

PS Kotwali, District Mahasamund

PS Pithora, District Mahasamund

PS Kotwali, District Surguja

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ २००० पुलिस

परित्राणाय साधूनाम्